प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

	प्र. विचार प्र. विचार प्र. विचार प्र. विचार विच
	4.—सूचना की किरमः— लिखित/मौखिकः—लिखित
	5—घटनास्थल:— आम्बेडकर चौराहा करबा देवगढ जिला राजसमन्द (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:— दिशा—उत्तर बफासला 70 किलोमीटर (ब) पता
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थानाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिलाजिला
	6.— परिवादी / सूचनाकर्ता :— (अ).—नाम :— श्री ओगडनाथ (ब).—पिता का नाम :— श्री बाबूनाथ जी (स).—जन्म तिथि :— उम्र—42 वर्ष (द).—राष्ट्रीयता :— भारतीय (य).—पासपोर्ट संख्या—
	7.— ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :—
}	(1) श्री युवराजसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह चुण्डावत उम्र 46 साल निवासी जोगरास पुलिस थान रायपुर जिला भीलवाडा हाल हैड कानि नम्बर 446 पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द
	8.— परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण:—कोई नही
	9.— चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।) 30,000 / — रूपये ट्रेप राशि
	10.—चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 30,000 / - रूपये ट्रेप राशि
	11.—पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो) 12.—विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

1000m

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2022 समय 01.45 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री ओगडनाथ पुत्र श्री बाबूनाथ जाति नाथ उम्र 42 साल निवासी किटो का बिडिया तेहसील देवगढ जिला राजसमन्द ने अपने मोबाईल नम्बर 8079008393 से फोन करके बताया कि ''मेरी बहन राधा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमरावल निवासी सालिया का खेडा तहसील देवगढ के देवर श्री रोशन रावल निवासी सालिया खेडा ने मेरे, मेरी बहन एवं पांच व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना देवगढ़ में एक प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसमें पुलिस थाना देवगढ द्वारा 7 मुल्जिम बनाये गये थे लेकिन अब इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्रनाथ व मेरे भाई पारसनाथ का नाम जोडते हुए चार नये मुल्जिम बनाये गये हैं। इस प्रकरण में जांच अधिकारी श्री युवराज सिंह हैड कानि० हैं जो इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्र नाथ व मेरे भाई पारसनाथ का नाम हटाने की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। हैड साहब रिश्वत राशि की मांग मुझसे नहीं करके मेरे पिताजी श्री बाबुनाथ जी से करेगा। इसलिए रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही में मेरे पिताजी को भेजना उचित रहेगा। साथ ही बताया कि मैं यहां राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो सकता हुं क्योंकि हैड साहब ने आज दिनांक 21.03.2022 को समय 05.00 पी०एम पर मुझे थाने में बुलाया है। जिस पर ब्यूरो में कार्यरत श्री जितेन्द्र कुमार कानि नम्बर 262 को परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर हिदायत दी कि ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के निकालकर ब्यूरो कार्यालय से खाना हो कामलीघाट चौराहा पर पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क करें तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में परिवादी का प्रार्थना पत्र लेकर सत्यापन की कार्यवाही कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावें। इसके पश्चात समय 05.15 पी.एम. कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरों कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर में, समय 03.30 पी0एम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कामलीघाट चौराहा के पास पहुंचकर परिवादी श्री ओगडनाथ से फोन पर सम्पर्क कर परिवादी तथा परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ से मिल लिया हूं। तथा परिवादी से मैने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया हैं"। जिस पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को हिदायत दी कि परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही कर पुनः मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावें। तत्पश्चात समय 09.36 पी.एम. पर कानि० जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने जरिए मोबाईल फोन बताया कि "मेरे द्वारा परिवादी तथा परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री बाबुनाथ को चालु कर पुलिस थाना देवगढ में श्री युवराज सिंह हैड कानि० नं. 446 से वार्ता करने हेतु भेजा। जिस पर समय करीब 9.40 पीएम पर परिवादी व परिवादी के पिताजी मेरे पास आये। जिस पर मेरे द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर बंद कर सुरक्षित रखा। तथा परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ ने मुझे बताया कि मैने थाने में पहुंच कर श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 से पुलिस थाना देवगढ में दर्ज प्रकरण में मेरे पुत्र श्री पारसनाथ एवं मेरे पोते श्री महेन्द्रनाथ के नाम पर कोई कार्यवाही नही करने के संबंध में वार्ता की तथा वार्ता के दौरान युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 ने मुझसे 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की और 30,000 रूपये रिश्वत राशि कल दिनांक 22.03.2022 को लेना तय किया। इसके उपरान्त कानि० जितेन्द्र कुमार नम्बर २६२ द्वारा परिवादी से भी वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी कानि० जितेन्द्र कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। ततपश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अभी मैं देवगढ से रवाना होकर राजसमन्द देर रात तक पहुचूंगा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि० जितेन्द्र कुमार को हिदायत दी कि वह डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं परिवादी श्री ओगडनाथ का प्रार्थना पंत्र अपने पास सुरक्षित रखे तथा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि कल दिनांक 22.03.2022 को समय 8.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे। तत्पश्चात दिनांक 22.03.2022 को समय 07.00 एएम पर कानि० जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकार्डर सिपूर्द किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ''मैं प्रार्थी ओगडनाथ पुत्र श्री बाबूनाथ जी जाति नाथ उम्र 42 निवासी किटो का बिडया ते देवगढ़ जि0 राजसमन्द का रहने वाला हुं मेरी बहन राधा पत्नी स्वर्गीय प्रेमरावल निवासी सालिया का खेडा ते० देवगढ के देवर श्री रोशन रावल निवासी सालिया खेडा ने मेरी बहन व मेरे एवं पांच व्यक्ति के खिलाफ पूलिस थाना देवगढ में एक प्रकरण दर्ज करवाया था उक्त प्रकरण में पूलिस द्वारा सात मुल्जिम बनाये गये थे लेकिन अब इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्रनाथ व मेरे भाई पारसनाथ का नाम जोडते हुए चार नये मुल्जिम बनाये गये हैं। उक्त प्रकरण में जांच

अधिकारी श्री युवराजसिंह हैड कोस्टेबल हैं। जो इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्रनाथ का नाम हटाने व मेरी गाडी जब्त नहीं करने की एवज में 50,000 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं। मैं रिश्वत राशि युवराजसिंह हैड कास्टेबल को नहीं देना चाहता हुं और रिश्वत लेते रंगों हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरा युवराजसिंह से मेरा कोई लेनदेन बकाया नहीं हैं और न ही कोई आपसी रंजिश हैं। युवराजसिंह हैड कोस्टेबल रिश्वत राशि की मांग मुझ से ना करके मेरे पिताजी श्री बाबुनाथ जी से करेगा। आगे की कार्यवाही में मेरे पिताजी को भेजना उचित रहेगा क्योंकि युवराजसिंह मुझ प्रार्थी से रिश्वत राशि की मांग नहीं करेगा। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि कानूनी कार्यवाही करावें"। परिवादी की लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का होना पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन दिनांक 21.03.2022 को कराया गया। जिसमें रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई। इसके पश्चात समय 07.15 एएम पर कानि० जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि "मैं दिनांक 21.03.22 को ब्यूरो कार्यालय से अपनी निजी मोटरसाईकिल लेकर कामलीघाट चौराहे पर परिवादी से संपर्क कर परिवादी ओगडनाथ व परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ से मिल कर बाबुनाथ को डिजीटल वाईस रिकार्डर सिपूर्द कर परिवादी की मोटरसाईकिल से पुलिस थाना देवगढ के लिए रवाना कर पिछे-पिछे मैं अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुआ। परिवादी व परिवादी के पिताजी पुलिस थाना देवगढ के अन्दर चले गए मैं थाने के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा रहा। समय करीब 9.40 पीएम पर परिवादी व परिवादी के पिताजी पुलिस थाना दैवगढ से बाहर आये मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर सिपूर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी के पिताजी ने मुझे बताया कि मैने थाने में पहुंच कर श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 से पुलिस थाना देवगढ में दर्ज प्रकरण में मेरे पुत्र श्री पारसनाथ एवं मेरे पोते श्री महेन्द्रनाथ के नाम पर अवैध कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में वार्ता की तथा वार्ता के दौरान युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 ने मुझसे 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की और 30,000 रूपये रिश्वत राशि दिनांक 22.03.22 को लेना तय किया। परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ ने उक्त हालात बताये। श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर आज दिनांक 22.03.22 को 8.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर देवगढ से रवाना हो समय करीब 2.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पहुंच डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। उक्त हालात श्रीमान को जरिये मोबाईल भी निवेदन किया गया"। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो उपरोक्त तथ्यो की ताईद हुई। डिजिटल वाईस रिकार्डर में हुई वार्तानुसार आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय मे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 08.00 एएम पर परिवादी श्री ओगडनाथ अपने पिता श्री बाबूनाथ के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा परिवादी ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। परिवादी से मजिद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि "मेरे स्वयं व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना देवगढ पर प्रकरण संख्या 86 / 2022 दर्ज है जिसमें मेरे बेटे महेन्द्रनाथ एवं भाई पारसनाथ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट नहीं थी इसके बावजूद इन दोनों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के लिए मेरे पिताजी श्री बाबुनाथ जी से आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि० ने 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। हैड साहब श्री युवराज सिंह ने 30,000 रूपये आज लेना तय किया"। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से संदिग्ध श्री युवराज सिंह द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुछा तो परिवादी श्री ओगडनाथ ने बताया कि ''हैंड साहब श्री युवराज सिंह रिश्वत राशि मेरे से ग्रहण कर लेंगे''। इसके पश्चात की जाने वाली अग्रिम ट्रेष कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह एवं सरकारी/अनुबंधित वाहन की आवश्यकता होने से तहसील कार्यालय राजसमन्द, भूमि विकास बैंक राजसमन्द एवं पंचायत समिति राजसमन्द से जिरए दुरभाष वार्ता कर गवाह / वाहन तलब किये जाकर संबंधित को तहरीर जारी की गई। इसके पश्चात समय 09.00 एएम पर इस समय तलब शुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री करण सिंह पुत्र श्री लालसिंह जी राठौड जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी 21 छ सुखाडिया नगर नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय राजसमन्द मोबाईल नम्बर 9413474844 एवं दूसरे ने श्री शंकरलाल रेगर पुत्र श्री भूरा लाल जी जाति रेगर उम्र 53 साल निवासी रेगर मौहल्ला, राजनगर, पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमन्द हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय राजसमन्द मोबाईल नम्बर 8107637981 जिस पर कार्यालय में मौजुद दोनो गवाहान का परिवादी श्री ओगडनाथ से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया जाकर पढ़ाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने

हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर परिवादी एवं दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात पंचायत समिति राजसमन्द का अनुबंधित वाहन नं. आर०जे०—30 —यू०ए० —1291 मय चालक के उपस्थित कार्यालय आये तथा वाहन चालक ने अपना श्री किशनलाल गायरी पुत्र श्री देवीलाल गायरी उम्र 40 वर्ष निवासी गाडरियावास राजनगर जिला राजसमन्द मौबाईल नं. 8824571861 तथा भूमि विकास बैंक राजसमन्द का अनुबंधित वाहन नं. आर०जे०-30-टी०ए०-0444 मय चालक हाजिर कार्यालय आये। तथा वाहन चालक ने अपना नाम श्री मदनलाल पुत्र श्री मांगीलाल रेगर, उम्र-37 वर्ष, निवासी धोईन्दा कांकरोली पुलिस थाना काकरोली जिला राजसमन्द मोबाईल नं. 9413457464 होना बताया। इसके पश्चात समय 09.15 एएम पर कार्यालय में सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ एवं आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 के मध्य पुलिस थाना देवगढ में दिनांक 21.03.2022 को हुई वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी, परिवादी के पिता श्री बाबूनाथ एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री प्रदीप सिंह कानि० नं० 162 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसिकेप्ट मूर्तिब की गई तथा उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार की गई। तथा उपस्थितिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी के पिता श्री बाबूनाथ ने उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि0 की होना बताया। परिवादी के पिता बाबुनाथ व अन्य तथा आरोपी युवराजसिंह के मध्य हुई वार्ता के अनुसार आरोपी युवराजसिंह ने बाबुनाथ से प्रकरण में उसके बेटे पारसनाथ व पौत्र महेन्द्रनाथ का चालान नहीं करने की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा बाबुनाथ व अन्य द्वारा उक्त राशि ज्यादा होने का हवाला देकर कम करना तथा इस पर आरोपी युवराज सिंह द्वारा उक्त राशि अन्य मुल्जिमान से एकत्रित करने की सलाह देना तथा बाबुनाथ व अन्य के द्वारा राशि कम करने के निवेदन पर आरोपी युवराजसिंह द्वारा 30,000 रूपये दिया जाना तय करने की पुष्टि होती हैं। उक्त वार्ता की मूल सीडी पर परिवादी, परिवादी के पिता, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर कर नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गर्य। तथा मूल सीडी एवं डब सीडी को कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई। इसके पश्चात समय 11.20 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ एवं आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 के मध्य पुलिस थाना देवगढ में दिनांक 21.03.2022 को हुई वार्ता का मेमोरी कार्ड उक्त कार्यवाही में वजह सबूत जप्त किया गया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 11.30 ए.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री ओगडनाथ पुत्र श्री बाब्नाथ जाति नाथ उम्र 42 साल निवासी किटो का बिडया तेहसील देवगढ जिला राजसमन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री ओगडनाथ ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 2000-2000 रूपये के 15 नोट कुल 30,000/- रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नोटों के नम्बर निम्नानुसार है: -

9	300 30 50 40		
1.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5BN 020268
2.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0AD 138463
3.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1FC 627152
4.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	8EQ 149328
5.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6NB 878927
6.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	6GB 445370
7.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	3EB 850738
8.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2DN 795656
9.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2KP 875558
10.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AU 696071
11.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0GM 884513
12.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CT 368700
13.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	2BE 871123
14.	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	8HH 775077
15	2000 रूपये का एक नोट	नम्बर	5AH 946498

उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्रीमती तारा म0 कानि० नं. 259 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर अखबार



पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 से उक्त पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री ओगडनाथ की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री करणसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर नोटो को परिवादी श्री ओगडनाथ के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोपर्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत मे उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 से फिकवाया गया। तथा अखबार को जला कर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 से कार्यालय के मालखाना में रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिवादी का परिचय कराया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी की यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि देने के बाद मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर अथवा अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित कर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर सेव कराये। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर कार्यालय में रखवाये जाकर कार्यालय से नई कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री ओगडनाथ को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को दैंप करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात समय 11.40 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक अनूप सिंह मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री प्रदीपसिंह कानि नम्बर 162, मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 यूए 1291 मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 एवं एक अन्य अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 टीए 0444 में स्वतंत्र गवाहान श्री करणसिंह व श्री शंकरलाल रेंगर, श्री गोविन्द नारायण जोशी हैड कानि नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड ्र कानि० नं० २३३ मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय चालक मदनलाल रेगर के, तथा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 न0 262 एवं कानि0 श्री अजयकुमार नम्बर 456 अपनी निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी श्री ओगडनाथ एवं परिवादी के पिता श्री बाबूनाथ मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के अपनी निजि मोटर साईकिल से देवगढ की तरफ रवाना हो मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना देवगढ परिसर से कुछ पहले रूक कर गाडियों को साईड में खडा कर परिवादी श्री ओगडनाथ एवं परिवादी के पिता श्री बाबूनाथ को थाना देवगढ की तरफ रवाना किया। इसके पश्चात परिवादी श्री ओगढनाथ ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर बताया कि हैड कानि० युवराज सिंह ने मुझे करबा देवगढ में स्थित आम्बेडकर सर्किल पर चाय की होटल पर मिलने हेतु कहा हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को युवराजिसंह हैड कानि० के बताये अनुसार आम्बेडर सर्कल पर मिलने के संबंध में बताया और मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के गांडी में ही अपनी—अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 02.35 पी.एम पर परिवादी ने अपने मोबाईल से मन् पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर रिश्वत राशि श्री युवराजसिंह हैड कानि० को देना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के अपनी अपनी गाडियों से रवाना होकर परिवादी श्री ओगडनाथ के बताये अनुसार आम्बेडकर सर्कल पहुंचा। जहां पर परिवादी अपने पिताजी श्री बाबुनाथ के साथ उपस्थित मिला। परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे मैने बंद कर सुरक्षित रखा। तथा परिवादी ने पुलिस की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही हैड कानि० श्री युवराजसिंह हैं जिनको मैंने अभी अभी 30,000 रूपये रिश्वत राशि दी हैं। जिस पर उक्त व्यक्ति ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर दोनों

हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेंट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब में रखे है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताते हुए उस व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री युवराजसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह चुण्डावत उम्र 46 साल निवासी जोगरांस पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा हाल हैड कानि नम्बर 446 पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया। इसके उपरान्त आरोपी श्री युवराजसिंह हैड कानि० से परिवादी ओगडनाथ से रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा तो वह कुछ नहीं बोला व चुप रहा तथा कुछ समय बाद बताया कि मैं ओगडनाथ से उधार के पैसे मांगता हुं जो मैने लेकर अभी अभी मैने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब में रखे हैं जो अभी भी मेरी वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब में रखे हुए हैं। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने कहा कि हैड साहब झूठ बोल रहे हैं मैने इनसे कोई पैसे उधार नहीं लिये हैं, इन्होने थाना देवगढ पर दर्ज प्रकरण में मेरे भाई व मेरे पुत्र का नाम हटाने की एवज में बतोर रिश्वत राशि प्राप्त किये हैं। चूंकि मौका घटनास्थल व्यस्तम होने तथा आम लोगों की आवाजाही अधिक होने से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आरोपी श्री युवराजसिंह को यथास्थिति साथ में लाये अनुबंधित वाहन में बैठाकर, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्य मय परिवादी के आम्बेडकर सर्कल से रवाना होकर समय करीब 02.50 पीएम पर पुलिस थाना देवगढ पहुंच अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपी से रिश्वत राशि बाबत् पुनः पूछताछ की तों उसने बताया कि यह रूपये मैने मेरे स्वयं के लिए ही लिये हैं। इसमें और किसी का हिस्सा नहीं हैं। आरोपी श्री युवराजसिंह ने परिवादी की ओर इशारा करते हुए बताया कि औगडनाथ फोजी व इनके पिताजी दोनों कल मेरे पास आये थे ओगडनाथ के पिताजी ने थाना देवगढ पर दर्ज प्रकरण में इनके पुत्र व पौत्र का नाम हटाने के लिए कहा था उसी के लिए यह 30,000 रूपये देने के लिए मेरे पास आया था। जो मैने लेकर मेरी पहनी हुई वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब में रख दिये थे। जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी बाबुनाथ जी व में कल थाना देवगढ़ पर आये थे उस समय हैड साहब ने मेरे पिताजी से मेरे भाई व मेरे पुत्र के साथ अन्य व्यक्तियों का नाम हटाने की एवज में 50,000 रूपये की मांग की थी तो मेरे पिताजी ने पैसे कुछ कम कर 20,000 रूपये देने का कहा तो हैड साहब युवराजसिंह नहीं माने और मुकदमें में जिनका नीम हटाया जावेगा उन सभी से इकट्टे करके 30,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत हुआ। इस पर मैने आज हैड साहब युवराजसिंह के बताये अनुसार उनको रिश्वत राशि 30,000 रूपये दिये थे जो उन्होनें अपनी पहनी हुई वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब में रखे। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.03.2022 को आरोपी युवराजसिंह के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो एक आवाज स्वयं की होना बताया एवं बाबुनाथ व स्वयं के बीच वार्तालाप होना ताईव किया। आरोपी युवराजसिंह से पुनः पूछताछ कर रिश्वत राशि के बारे पूछा तो युवराजसिंह हैड कानि ने बताया कि यह राशि मैने मेरे लिये ही ली हैं इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं हैं। ततपश्चात श्री प्रदीपसिंह कानि नम्बर 162 से गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु कानि० श्री प्रदीपसिंह से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बीनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री युवराजसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हक्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल—चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क आर0 एच0—1 व आर0 एच0—2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री युवराजसिंह के बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धौवण का रंग मटमेला गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमेला गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एल0 एच0-1 व एल0 एच0-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपी श्री युवराजसिंह हैड कानि० की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री करणसिंह से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब से 2000-2000 हजार के नोट मिले। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 2000—2000 के कुल 15 नोट कुल 30,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो का मिलान हुबहु होना पाया गया। उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डिचट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके उपरान्त आरोपी श्री युवराजसिंह के लिए सिविल शर्ट एवं पेण्ट मंगवाकर उसकी पहनी हुई वर्दी को ससम्मान उतरवाकर कानि० श्री प्रदीपसिंह नं. 162 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम

कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री युवराजसिंह की पहनी हुई वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क पी-01 व पी-02 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त पेण्ट बरंग खाखी, की जेब को सुखाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिल-चिट कर मार्क "पी" अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी द्वारा इस्तेमाली मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का होकर बरंग हल्का नीला जिसे एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट कर वजह सबूत जिरए फर्द जब्त किया गया। इसके उपरान्त आरोपी श्री युवराजसिंह से परिवादी श्री ओगडनाथ व उनके परिजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि श्री ओगडनाथ व उनके परिजनों के विरूद्ध थाना देवगढ पर दर्ज प्रकरण संख्या 86/2022 में अनुसंधान मेरे द्वारा ही किया जा रहा हैं जो पत्रावली मेरे पास ही हैं। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना देवगढ के नाम पर पत्र जारी कर प्रकरण संख्या 86/2022 एवं परिवादी श्री ओगडनाथ की बहन श्रीमती राधादेवी की ओर से थाना देवगढ पर दी गई रिपोर्ट व उस पर की गई अब तक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। इसके पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता होना पाया गया। इसके पश्चात समय 07.40 पीएम पर आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि० नं० 446 के मोबाईल वीवो कम्पनी बरंग हल्का नीला को जप्त कर फर्द जप्ती पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री युवराजसिंह हैड कानि० नम्बर ४४६ पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा ७, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री युवराजसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह चुण्डावत उम्र 46 साल निवासी जोगरास पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा हाल हैड कानि नम्बर 446 पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द को समय 08.00 पीएम पर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी जुदागाना तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात समय 08.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, परिवादी श्री औगडनाथ एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री करणसिंह व श्री शंकरलाल रेगर मय आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 यूए 1291 मय चालक के पुलिस थाना देवगढ से श्री युवराज सिंह हैड कानि० के कस्बा चौकी देवगढ स्थित रिहायशी सरकारी कमरे की तलाशी लेने हेतु रवाना हो समय 08.45 पीएम पर आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि० के करबा चौकी दैवगढ स्थित रिहायशी सरकारी कमरे की तलाशी दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ली जाकर फर्द खाना तलाशी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद फारिक घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु करबा देवगढ में स्थित आम्बेडकर चौराया की ओर खाना हो समय 09.35 पीएम पर घटनास्थल करेंबा देवगढ में स्थित अम्बेडकर चौराया पर चाय की होटल पर 👣 पहुंच कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षक कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गए। इसके पश्चात समय 09.40 पीएम पर परिवादी श्री ओगडनाथ को देवगढ से रवाना कर मन् उप अधीक्षक अनूप सिंह मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री प्रदीपसिंह कानि नम्बर 162, मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 यूए 1291 मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 एवं एक अन्य अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 टीए 0444 में स्वतंत्र गवाहान श्री करणसिंह व श्री शंकरलाल रेगर, श्री गोविन्द नारायण जोशी हैड कानि नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि० नं० 233 मय आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 मय मालखाना आर्टीकल्स, जप्त शुदा रिश्वत राशि के मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय चालक मदनलाल रेगर के, तथा श्री जितेन्द्र कुमार कानि० न० २६२ अपनी निजि मोटर साईकिल से एवं कानि० श्री अजयकुमार नम्बर 456 से एसीबी कार्यालय राजसमन्द के लिए खाना हो एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहुँचे। इसके पश्चात परिवादी श्री ओगडनाथ द्वारा दिनांक 22.03.2022 को रिश्वती राशि 30,000 रूपये आरोपी श्री युवराजसिंह को देते समय की वार्ता को टैपरिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया जिसकी स्वतंत्र गवाहान श्री करणसिंह व शंकरलाल रेगर व परिवादी श्री ओगडनाथ के समक्ष वार्ता को सुनकर दिनांक 23.03.2022 को उक्त वार्ता की ट्रांसिकप्ट तैयार की जाकर उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार कर मूल सीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मूल सीडी को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट किया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 के मध्य दिनांक 22.03.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता का मेमोरी कार्ड उक्त कार्यवाही में

1000m

वजह सबूत जप्त किया गया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार आरोपी श्री युवराजसिंह हैड कानि० नम्बर ४४६ पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 21.03.2022 को रिश्वत राशि 50,000 रूपये की मांग करना तथा परिवादीगण के निवेदन करने पर रिश्वत राशि 30,000 रूपये लेना तय करना तथा दिनांक 22.03.2022 को परिवादी से 30,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर उसकी पहनी हुई वर्दी की पेण्ट की दाहिनी साईड की अन्दर की जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होना तथा आरोपी युवराजसिंह की हाथ धुलाई करवाने पर दोनों हाथों के धोवण के घोल का रंग हल्का / गुलाबी होना व वर्दी की पेण्ट की अन्दर की जेब के धोवण के घोल का रंग गहरा गुलाबी होना आरोपी श्री युवराजिसंह के विरुद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रमाणित होना पाया गया हैं। अतः आरोपी श्री युवराजसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह चुण्डावत उम्र 46 साल निवासी जोगरास पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा हाल हैंड कानि नम्बर 446 पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री युवराज सिंह, हैड कानि0 नम्बर 446, पुलिस थाना देवगढ, जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 96/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 849-53 दिनांक 23.03.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द।
- 4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।